



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)


क्रमांक : 7798 /अका./2012

रायपुर, दिनांक : 18/07/2012

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 (कार्यवृत्त क्रमांक 7752/अका./वि.प.स्थायी समिति/2012 दिनांक 11.07.2012) के परिपालन में बिंदु क्रमांक 14 पर लिये गए निर्णय "स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू हो जाने के फलस्वरूप एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम. पूर्व (वार्षिक परीक्षा पद्धति) में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम. (वार्षिक परीक्षा पद्धति) के नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।" इसे कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2012 में अनुमोदन किया गया है।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 7799 /अका./2012

रायपुर, दिनांक : 18/07/2012

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
 3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
 4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
 5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभाग प्रमुख, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
 6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रभारी अधिकारी (अका.)